

11/02/17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है। अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। अतः तर्क सुने गए।

प्राथमिकी अनुसार दिनांक 11.05.15 को मध्य रात्रि 12:15 बजे बजे से रात्रि 2:15 बजे के मध्य फरियादी छविराम कुशवाह के मकान से रात्रि ग्रहभेदन कारित करते हुए उसके कमरे में से बर्तन, बक्सा का ताला खोलकर उसमें से चांदी की करदोनी ढाईसौ ग्राम, चांदी की पायजेब दौसौ ग्राम एक जोड़ी, एक जोड़ी सोने के बाला आठ आना बजन के, एक जोड़ी टोक्स, एक ओम सोने का, 30 हजार रुपये नगदी की चोरी करने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई गयी जिससे थाना गोहद चौराहा का अप0क0-92/15 पंजीबद्ध किया गया।

अनुसंधान में उक्त सामान के संबंध में अनुसंधान के दौरान तलाश की गयी परंतु माल तथा मुल्जिम दरियाफ्त (प्राप्त) नहीं हो सके। संदेहीजन से पूछताछ की गयी, केस डायरी में पर्चा संलग्न हैं। वाहन प्राप्त न हो पाने से अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, गोहद की अनुशंसा सहित डायरी एफ0आर0 हेतु खात्मा क0 29/15 पर कता की गयी।

खात्मा प्रकरण फरियादी छविराम कुशवाह व विवेचक सुरेशदत्त मिश्रा के कथन कराए गए। फरियादी छविराम ने पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट होना तथा खात्मा स्वीकार होने में आपत्ति न होना व्यक्त की है। चोरी हुए काफी समय हो चुका है।



Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of  
Parties or  
Pleaders where  
necessary

फरियादी को खात्मा स्वीकार किए जाने में आपत्ति नहीं हैं। साथ ही भविष्य में माल व मुल्जिम मिलने पर पुनः अन्वेषण किया जाना संभव होगा। अतः खात्मा स्वीकार किया जाता है।

खात्मा डायरी स्वीकार किए जाने की टीप सहित संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस भेजी जावे। प्राथमिकी एवं खात्मा प्रतिवेदन की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की जावे।

आदेश की प्रति निःशुल्क दी जावे

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Cl  
Gohad dist. Bhind (M.P.)

गोहाद जिला सिण्ड